तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 13/4/26 को पेश हो।	
13/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 17/4/26 को पेश हो।	
17/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 23/4/26 को पेश हो।	
23/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 27/4/26 को पेश हो।	
27/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 29/4/26 को पेश हो।	
29/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी अथवा अधि० प्रार्थी की पुनः बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० कि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 09/2024

सुरजीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति जाट निवासी बरकौली, तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री गोरधन सिंह धनकर एडवोकेट प्राथी

निर्णय **दिनांकः—29.04.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 128 से 131 तक के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता प्रेम सिंह पुत्र हुकम सिंह द्वारा खरीदी गई आराजी खसरा नम्बर 154 रकवा 0.34है0 है। जिसका साविक खसरा नम्बर 99 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम जुगलापट्टी तहसील उच्चैन में स्थित है। प्रार्थी के पिता प्रेम सिंह पुत्र हुकम सिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी बाबत् विरासत का दाखिला प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के नाम इन्द्राज नहीं हो सका है। प्रार्थी के पिता प्रेमसिंह पुत्र हुकम सिंह द्वारा खरीदी हुई आराजी का नामान्तरण संख्या 795 वयनामा के आधार पर दर्ज किया संवत् 2056 से 2059 में प्रेम सिंह पुत्र हुकम सिंह सही दर्ज किया गया है। परन्तु इसके बाद की जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 में प्रार्थी के पिता प्रेमसिंह की वल्दियत हुकम सिंह के स्थान पर विकेता घनश्याम के पिता का नाम फतेहसिंह सहवन से गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के पिता प्रेम सिंह की बल्दियत हुकम सिंह है। फतेह सिंह नहीं है। जमाबंदी सम्बत् 2060 से 2063 में प्रार्थी के पिता प्रेमसिंह की बल्दियत हुकम सिंह के स्थान पर फतेह सिंह अब तक दर्ज रिकार्ड होती चली आ रही है जिसके कारण प्रार्थी को सख्त हक तल्फी हुई है जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 154 रकवा 0.33है0 में हिस्सा 1/3 बाके ग्राम जुगला पट्टी तहसील उच्चैन की बाबत् प्रार्थी के पिता प्रेम सिंह पुत्र हुकम सिंह का राजस्व रिकार्ड में गलत हो रही बल्दियत फतेह सिंह के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र हुकम सिंह दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम जुगलापट्टी का हाल ख.नं. 154 रकवा 0.34है0 का साबिक ख.नं. 99 रकवा 2—02बीघा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल दर्ज है। बाके ग्राम जुगलापट्टी में नामान्तकरण 795 के जरिये ख.नं. 99 में घनश्याम पुत्र फतेहसिंह हि. 1/3 के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र हुकमसिंह हि. 1/3 की खातेदारी दर्ज हुई

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

है एवं इसी प्रकार नामा.सं. 859 के जरिये ख.नं. 99 में शिवसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा 4/21 के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र हुकमसिंह हिस्सा 4/21 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 154 रकवा 0.34है0 है जिसका साविक खसरा नम्बर 99 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम जुगलापट्टी तहसील उच्चैन में स्थित है उक्त आराजी प्रार्थी के पिता स्व प्रेमसिंह पुत्र हुकमसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 795 के जरिये जमाबंदी सम्बत् 2056 से 2059 में प्रार्थी के पिता प्रेम सिंह की बल्दियत हुकम सिंह सही दर्ज की गयी थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से आगे की जमाबंदी सम्बत् 2060–2063 में प्रार्थी के पिता प्रेम सिंह की बल्दियत हुकम सिंह के स्थान पर फतेहसिंह दर्ज कर दी गई एवं उक्तानुसार आगे की सभी जमाबंदियों में प्रार्थी के पिता की बल्दियत गलत दर्ज होती चली आ रही है जिसके कारण प्रार्थी को सख्त हक तल्फी हुयी है। मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2056 से 2059 प्रार्थी के पिता प्रेमसिंह की बल्दियत फतेहसिंह के स्थान पर हुकम सिंह दर्ज कर शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पन मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2056–2059, 2060–2063,2075–2078 एवं मिलान क्षेत्रफल आदि का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्बत् 2056–2059 के अवलोकन एवं तहसीलदार उच्चैन की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बाके ग्राम जुगलापट्टी में नामान्तकरण 795 के जरिये ख.नं. 99 में घनश्याम पुत्र फतेहसिंह हि. 1/3 के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र हुकमसिंह हि. 1/3 की खातेदारी दर्ज हुई है। जिसका इन्द्राज आगे की जमाबंदियों में प्रेमसिंह पुत्र हुकमसिंह हि. 1/3 के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र फतेहसिंह हि. 1/3 दर्ज कर दिया गया है। जमाबंदी सम्बत् 2056–2059 के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के पिता प्रेम सिंह की बल्दियत फतेहसिंह के स्थान पर हुकम सिंह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 154 रकवा 0.34है0 बाके ग्राम जुगलापट्टी तहसील उच्चैन में खातेदार काश्तकार प्रार्थी के पिता प्रेमसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा–1/3 जाति जाट सा. बरकौली खातेदार के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र हुकमसिंह हिस्सा–1/3 जाति जाट सा. बरकौली खातेदार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)